भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA

परिपत्र :रूपे/2016-17/008 13 मई 2016

रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 - बैंक शाखा में संपन्न लेनदेन

कृपया "रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 - परिशिष्ट" विषय पर दिनांक 12 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र सं. रूपे/2016-17/001 देखें जिसमें लेनदेन शब्द की परिभाषा को निम्नुसार संशोधित किया गया है -

"लेनदेन के प्रकार का तात्पर्य उन समस्त लेनदेन से है, जो ग्राहक द्वारा बैंक शाखा में अथवा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत से, या तो स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) और / अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से किया हो।"

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कृपया आप हमें संलग्न प्रारूप में यह सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करें कि क्या लेनदेन की उक्त परिभाषा के अंतर्गत कोई दावा दायर किया गया है। यह सूचना दावा दायर करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त दी जानी है।

रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 में निर्धारित अन्य सभी निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी।

यदि अन्य किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया rupayinsurance@npci.org.in पर संपर्क करें।

भवदीय

(दिलीप अस्बे)
मुख्य परिचालन अधिकारी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA

परिपत्र : रूपे /2016-17/001 12 अप्रैल 2016

रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17 - परिशिष्ट

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा "रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17" विषय पर 29 मार्च 2016 को जारी परिपत्र रूपे /2016-17/046 के अनुसरण में हम सदस्य बैंकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे उसमें निम्नलिखित के संबंध में किए गए परिवर्तन को नोट करें -

शर्तें और निबंधन (ए1)

मूल खंड (ए1)

सभी रूपे कार्डधारक (वास्तविक अथवा आभासी कार्डधारक) अर्थात् रूपे द्वारा प्रदत्त आईआईएन पर जारी कार्डों के धारक "रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17" के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। बीमा का लाभ उन कार्डधारकों को उपलब्ध होगा जिन्होंने कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय लेनदेन* या तो अपने स्वयं के बैंक के या फिर किसी दूसरे बैंक के चैनल (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / किसी भी भुगतान लिखत द्वारा उस स्थान पर बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि) से निम्नलिखित अवधियों में संपन्न किया हो -

क) प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 45 दिन के भीतर, तथा
ख) जो प्रीमियम कार्डधारक नहीं हैं, उनके लिए, दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर

*लेनदेन के प्रकार का तात्पर्य उन समस्त लेनदेन से है, जो ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत से, या तो स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) और / अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से किया हो।

संशोधित खंड (ए1)

सभी रूपे कार्डधारक (वास्तविक अथवा आभासी कार्डधारक) अर्थात् रूपे द्वारा प्रदत्त आईआईएन पर जारी कार्डों के धारक "रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17" के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। बीमा का लाभ उन कार्डधारकों को उपलब्ध होगा जिन्होंने कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय लेनदेन* या तो अपने स्वयं के बैंक के या फिर किसी दूसरे बैंक के चैनल (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / किसी भी भुगतान लिखत द्वारा उस स्थान पर बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि) से निम्नलिखित अवधियों में संपन्न किया हो -

क) प्रीमियम कार्डधारकों के लिए, दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 45 दिन के भीतर, तथा

ख) जो प्रीमियम कार्डधारक नहीं हैं, उनके लिए, दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर

*लेनदेन के प्रकार का तात्पर्य उन समस्त लेनदेन से है, जो ग्राहक द्वारा बैंक शाखा में अथवा किसी भी प्रकार के भुगतान लिखत से, या तो स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) और / अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से किया हो।

इस परिशिष्ट परिपत्र का मूल आशय बैंकों को यह सूचित करना है कि अपने या किसी अन्य बैंक के एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / रूपे कार्ड और आधार कार्ड पर ऑन-लाइन लेनदेनों सहित सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों के अलावा बैंक शाखा में ग्राहकों द्वारा किए गए समस्त लेनदेन भी अब "रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17" के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।

"रूपे बीमा कार्यक्रम - वित्तीय वर्ष 2016-17" विषय पर जारी उक्त परिपत्र रूपे / 2016-17 /046 में निहित अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी।

भवदीय

(दिलीप अस्बे)
मुख्य परिचालन अधिकारी